फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पन्नालाल **विपक्षी : श्री मीठालाल**

किस्म मुकदमा – 188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 110/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.01.2022

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प आमली में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादी खातेदार काश्तकार होने से वादी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 2787, 2788 किता 2 रकबा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:15:11 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021</u>

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री पन्नालाल पिता सवराम वैरागी निवासी विजनवास तह. मावली।

...................वादी

बनाम

1. श्री मिठालाल पिता देवा खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।
2. श्री बाबुलाल पिता नाथु खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।
3. श्री भंवरलाल पिता नाथु खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।
4. श्री डालचन्द पिता नाथु खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।
5. श्री रामलाल पिता देवा खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।
6. श्री प्रतापलाल पिता देवा खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।
7. श्री पन्नालाल पिता देवा खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 110/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00264

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 2787, 2788 किता 2 रकबा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.01.2022 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:15:11 IST
Reason: SelfAttested